तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज खीयाराम बनाम शिवदानाराम प्रकरण संख्या 84 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.07.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। श्री बाबूलाल अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी शिवदानाराम उर्फ शिवनारायण की मृत्यु दिनांक 23.04.2021 को हो गई। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र का वाद हेतु प्राप्त नहीं है, कानूनन मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती। प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रेवन्यू बोर्ड की नजीर आरएलडब्ल्यू 2003(1) पेज संख्या 570 से 574 प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पाईपलाईन बिछाने के लिए आवेदन किया है जिसमें खसरा नंबर 475 तादादी 4.7900 हैक्टेयर के खातेदार को सरसरी तोर पर सुना जाकर आदेश पारित किया जाना है जिसमें प्रार्थी द्वारा खातेदार शिवदानाराम पुत्र किस्तुराम जाति ~~जाट~~ निवासी तोलियासर को अप्रार्थी के रूप में सयोंजित किया है। प्रार्थी द्वारा धारा 251 क का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का प्रार्थना पत्र है उक्त प्रार्थना पत्र में वाद हेतु की आवश्यकता नहीं है। वाद हेतु एवं मृत व्यक्ति के विरुद्ध वादी की अवधारणा वाद पत्र में होने से प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता है। खातेदार शिवदानाराम की मृत्यु होने की सूचना प्रार्थी गोपाल पुत्र शिवदानाराम द्वारा दी गई है इसलिए अब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के स्थान पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेकर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रिकोर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी शिवदानाराम उर्फ शिवनारायण की मृत्यु दिनांक 23.04.2021 को हो चुकी है। जिसकी पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.05.2022 को मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र का वाद हेतु प्राप्त नहीं होने से मृत व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल सकती। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। इसलिये प्रार्थी खीयाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **आदेश सुनाया गया।** (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:54 IST
Reason: SelfAttested